

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-540 / 2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

कौशल नायक.....आवेदक / विक्रेता

बनाग

कमला देवी.....विपक्षी / क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
16.12.2023	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती कौशल नायक पिता/पति स्व० रामदयाल नायक ग्राम-महादेव टोली, खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।</p> <p style="text-align: center;">भूमि का विवरण</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>दतिया</td> <td>87</td> <td>24</td> <td>715</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती कौशल नायक पिता/पति स्व० रामदयाल नायक ग्राम-महादेव टोली, खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती कमला देवी पिता/पति करमपाल नायक ग्राम-बड़ाईकटोली, खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाण पत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0815631508 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 953 दिनांक 14.12.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका का खरीदगी भूमि है, आवेदक पंजी II रैयत स्वयं है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 7 के पृष्ठ सं० 36 पर जमाबंदी दर्ज है।</p> <p>आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जिला खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु विक्री करना चाहते हैं।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	दतिया	87	24	715	0.05	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
दतिया	87	24	715	0.05								



अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य एवं एक ही जिला के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 608 दिनांक 18.11.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCSC/2023/101478 दिनांक 10.10.2023 वो आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2023/344767 दिनांक 10.10.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की विक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 953 दिनांक 14.12.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती कौशल नायक पिता/पति स्व० रामदयाल नायक ग्राम-महादेव टोली, खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती कमला देवी पिता/पति करमपाल नायक ग्राम-बड़ाईकटोली, खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम दतिया के खाता सं० 24 खेसरा संख्या 715 रकबा 0.05 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।